सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 344 राँची, शुक्रवार, 19 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 जून, 2026

संख्या-5/आरोप(कोर्ट केस)-5-12/2020-36671 (HRMS)--श्रीमती मेरी मड़की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-273/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-(N)2080, दिनांक 02.09.2016 के माध्यम से उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-469/मन0, दिनांक 26.07.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. जिला स्तरीय गठित टीम के निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रखण्ड अड़की के ग्राम अड़की टोला मदुकामपीड़ी में मिट्टी मोरम पथ निर्माण (योजना कोड- 3401006001/Rc/9931644163) में बिना कार्य के कुल 2,60,496.00 (दो लाख साठ हजार चार सौ छियानबे रूपये) सरकारी राशि का भुगतान किया गया, जो वित्तीय अनियमितता में आता है ।

2. फर्जी मस्टर रॉल निर्गत किया गया, जिस पर कार्य नहीं हुआ ।

3. अभिलेख सही तरीके से संधारित नहीं था एवं उसमें कोई मस्टर रॉल निर्गत/MB दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। अभिलेख में सिर्फ योजना की प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश की प्रति थी, अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अभिलेख का संधारण नहीं कराया गया ।

4. आपके द्वारा लगातार मनरेगा योजनाओं का पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण बिना कार्य के ही सरकारी राशि का भुगतान किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8528, दिनांक 30.09.2016 द्वारा श्रीमती मड़की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्रीमती मड़की के पत्र, दिनांक 21.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री मड़की के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11073, दिनांक-27.12.2016 द्वारा उपायुक्त, खूँटी से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-286/मन0, दिनांक-15.04.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्रीमती मड़की के विरूद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, खूँटी के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-9899, दिनांक 18.09.2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-30, दिनांक 24.01.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती मड़की के विरूद्ध प्रतिवेदित चारों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं श्रीमती मड़की से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-460(HRMS), दिनांक 22.01.2020 द्वारा श्रीमती मड़की के विरूद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्रीमती मड़की द्वारा दायर W.P.(S) No.-2082/2020-Mary Markey Vrs. State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 26.09.2024 को पारित आदेश में श्रीमती मड़की के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-460(HRMS), दिनांक 22.01.2020 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया एवं संबंधित मामले को विभाग को वापस करते हुए न्यायोदश में अंकित निदेश के अनुरूप Fresh विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश दिया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 26.09.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

" 8. From the aforesaid facts it is apparent that the petitioner has been found guilty only on the basis of preliminary enquiry report. The findings in the preliminary enquiry report cannot amount to substantive evidence against her. In fact, it is only limited to the extent that prima facie, there were materials to initiate a departmental proceeding.

9. In view of the aforesaid findings and judicial pronouncements, the impugned Memo No. 5/Arop-1-119/2016-460(HRMS) Ranchi dated 22.01.2020 (Annexure-9) is set aside. The matter is remanded back afresh to the respondent no. 2 Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Govt. of Jharkhand, Ranchi to initiate fresh departmental proceeding by examining the witnesses and documents to come to any finding whether the petitioner was guilty of the alleged charge. It is however made clear that the departmental proceeding shall be disposed of within period of four month from the date of receipt of this order.

10. This writ application disposed with the aforesaid observation.

11. Pending I.A, if any, stands disposed of."

उपरोक्त पारित आदेश के आलोक में श्रीमती मड़की के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-27268, दिनांक 13.01.2025 पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-509, दिनांक 26.06.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती मड़की के विरूद्ध प्रतिवेदित चारो आरोपों को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्रीमती मड़की के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की पुनः जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०-343, दिनांक 21.01.2026 द्वारा श्री संजय सिन्हा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख श्री सिन्हा को वापस करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

उक्त के आलोक में संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक- 225, दिनांक 05.05.2026 द्वारा पुर्नजाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के उपरांत समर्पित पुर्नजाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में निम्न तथ्य अंकित किया गया-

1. प्रस्तुत साक्ष्यों, जैसे स्वीकृति आदेश, MGNREGA दिशा-निर्देश, MIS रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि योजना पंचायत स्तर की थी और कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी पंचायत पदाधिकारियों की थी। आरोपित पदाधिकारी की भूमिका केवल पर्यवेक्षी थी। अतः समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यह मामला प्रत्यक्ष गबन का न होकर पर्यवेक्षण में संभावित कमी से संबंधित है और केवल आरोपित पदाधिकारी को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है। इसलिए आरोप सं0-01 प्रमाणित नहीं पाया जाता है ।

2. उपलब्ध तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि फर्जी मस्टर रोल निर्गत करने में आरोपित पदाधिकारी की प्रत्यक्ष संलिप्तता सिद्ध नहीं होती। अतः आरोप सं0-02 प्रमाणित नहीं होता हैं ।

3. विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभिलेखों की अनुपलब्धता के लिए आरोपित पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराना न्यायसंगत नहीं है। अतः आरोप सं0-03 प्रमाणित नहीं पाया जाता हैं ।

4. विश्लेषण में यह पाया गया कि क्षेत्रीय परिस्थितियां वास्तव में कठिन थी तथा इतनी बड़ी संख्या में योजनाओं का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करना सीमित संसाधनों में संभव नहीं था। अतः केवल इस आधार पर आरोपित पदाधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। इस प्रकार आरोप सं0-04 प्रमाणित नहीं होता है ।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित पुर्नजाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्रीमती मेरी मड़की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-273/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती मेरी मड़की, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	MARY MARKEY 110001165673	विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित पुर्नजाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्रीमती मेरी मड़की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-273/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 344 - 50